नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि

नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) के अनुकुलन एंव उपान्तरण आदेश की धारा 298 (2) लिस्ट (जे0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत भगवानपुर के निर्माण कार्यो के सम्पादन करने हेतू ठेकेदारों के पंजीकरण एंव नियत्रंण के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पडने वाला है, से आपत्तियां एंव सुझाव आमन्त्रित करने हेतू प्रकाशित की जा रही है। अतः समाचार पत्र मे प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियां एंव सुझावों पर विचार नही होगा।

ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि 2015–16

1.परिभाषाएं–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार के ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि 2015 कहलायेगी, जो शासकीय गजट मे प्रकाशित होने की तिथि से लागू एंव प्रभावी होगी।

(2) वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो।

(3) निकाय– निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर से है।

(4) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों से है।

(5) अधिनियम– अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) संशोधन एंव उपान्तरण आदेश 2002 से है।

(6) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष से है।

(7) प्रभारी अधिकारी– प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के प्रभारी अधिकारी से है।

(8) प्रशासक– प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के प्रशासक/जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार से है।

(9) ठेकेदार– ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत भगवानपुर मे समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एंव अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म हो।

(10) श्रेणी– श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितिय एंव तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रकिया:–

नगर पंचायत भगवानपुर हरिद्वार के निर्माण कार्य (सडक/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एंव भवन के निर्माण आदि कार्यो के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतू ठेकेदार की तीन श्रेणियां होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितिय व तृतीय श्रेणी मे निम्न शर्तो/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत या जनपद हरिद्वार मे कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी तथा मूल निवास प्रमाण पत्र व पैन कार्ड नम्बर देना अनिवार्य होगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	10.00 लाख
ब– द्वितिय श्रेणी के लिए	05.00 लाख
स– तृतीय श्रेणी के लिए	03.00 लाख

(4) **प्रथम श्रेणी मे** पंजीकरण कराने हेतू लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एंव जिला पंचायत आदि विभागो मे कम से कम सडक/नाली/नाला आदि एंव भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभवं प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होगे। इसके अतिरिक्त स्वंय का तकनीकी अभियन्ता एंव टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाइबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमिक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होगे। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) **द्वितिय श्रेणी मे** पंजीकरण कराने हेतू उपरोक्त विभागो मे कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 25.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगे (अनुभव प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

(6) **तृतीय श्रेणी मे** पंजीकरण हेतू उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम 03 वर्ष कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एंव व्यापार कर विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एंव व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(8) ठेकेदार का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर मे निहित होगा।

3– जमानत राशि–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि जो राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप मे अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भगवानपुर के नाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	20,000.00
ब– द्वितिय श्रेणी के लिए	15,000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	10,000.00

4– पंजीकरण शुल्कः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप मे नगर पंचायत, भगवानपुर के कोष मे जमा करनी होगी।

(अ)– प्रथम श्रेणी के लिए	8,000.00
(ब)– द्वितिय श्रेणी के लिए	5,000.00
(स)– तृतीय श्रेणी के लिए	3,000.00

5– पंजीकरण की अवधिः–

प्रत्येक वर्ष मे माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेगे। पंजीकरण हेतू निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 100.00 नगर पंचायत कोष मे जमा कर कय करना होगा तथा पंजीकरण हेतू आवेदन पत्र निर्धारित रूप मे ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा अगर उक्त अवधि के अर्न्तगत ठेकेदार अपना पंजीकरण नही करा पाता है तो नियत शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण कराने हेतू रू0 1000.00/– अधिक देना होगा। यह सुविधा वर्ष के माह सितम्बर तक ही मान्य होगी।

6–नवीनीकरण की प्रकियाः–

(1) ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष मे निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(2) नवीनीकरण कराने की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(3) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मुल्य रू0 100.00 होगा, नगर पंचायत, भगवानपुर कार्यालय से कय कर विगत वर्ष मे किये गये कार्यो का विवरण देना होगा।

(4) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत भगवानपुर के कोष मे जमा कराने तथा
विगत वर्ष मे किये गये कार्यो के विवरण पर नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी:–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	5,000.00
(ब) द्वितिय श्रेणी के लिए	3,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	2,000.00

(5) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है अथवा निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी मे निहित होगा।

(6) ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी मे निहित होगा।

(7) ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत द्वारा दिये गये निर्माण कार्यो के ठेके मे ठेकेदार निर्धारित मानको के अनुरूप कार्य नही करता है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर मे निहित होगा, जिसके सम्बन्ध मे उम्बन्धित ठेकदार किसी भी न्यायालय मे वाद दायर नही करेगा।

7– निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र लेने की सीमाः–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।
(2) द्वितिय श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदार रू0 05.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।
(3) तृतीय श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदार रू0 3.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।

8– निविदा प्रपत्र का मुल्यः–

निविदा प्रपत्र का मुल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुसार (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

कार्यो की लागत (रूपये मे)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये मे)
अ– 50,000.00 तक	200.00
ब– 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	400.00
स– 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	800.00
द– 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	1000.00
य– 4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	1100.00
र– 8,00,000.00 रूपये से ऊपर के कार्यो के प्रपत्र पर निविदा	1200.00

मुल्य पर रू0 1000.00/– निर्माण कार्य की लागत पर 10.00 रूपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यो का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत, भगवानपुर से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा होने के पश्चात किसी स्थिति मे न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं मे समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत, भगवानपुर के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

तक उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्य आदेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नही होगा।

10– निर्माण कार्य की धरोहर राशिः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2008 मे किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एंव एफ0डी0आर0 के रूप मे अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भगवानपुर के पदनाम बन्धक होगी।

11– न्यूनतम निविदा पर कार्य की जमानत राशिः–

न्यूनतम निविदा दाता ठेकेदार को कार्य की न्यूनतम निविदा पर जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, पर 10 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय बचत पत्र व एफ0डी0आर0 आदि के रूप मे जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर के पदनाम बन्धक होगी जमा करनी होगी।

12– ठेकेदार का भुगतानः–

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एंव जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा तथा कार्य की जमानत राशि का भुगतान/वापसी 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

13– कार्य पूर्ण करने की अवधिः–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि कार्य के अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) मे दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतू ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नही किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप मे कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नही हो पाने की स्थिति मे दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

14– निर्माण कार्य पर स्टाम्प डियुटी का लगनाः–

ठेकेदार को निर्माण कार्य के अनुबन्ध पत्र के साथ नियत स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

15– पंजीकरण का निरस्तीकरणः–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नही करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एंव अभद्रता करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति मे अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की जॉच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची मे डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा ।

16– जमानत जब्त करने का अधिकारः–

यदि ठेकेदार नगर पंचायत, भगवानपुर के उपनियमों या ठेके की शर्तो अनुबन्ध–पत्र का उल्लघंन कर नगर पंचायत, भगवानपुर को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की जॉच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत भगवानपुर की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जनपद–हरिद्वार

उपजिलाधिकारी
/प्रभारी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जनपद–हरिद्वार।